# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
## पीठासीन अधिकारी – अनिल कुमार, आर.ए.एस.

**नम्बर मुकदमा–** राजस्व वाद / 55 / 2018

सुल्तान पुत्र लादूराम जाति जाट निवासी ग्राम बासनी (बैरास) तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
**–वादी**

बनाम

1. हरजीराम पुत्र लादूराम
2. सांवरमल पुत्र लादूराम
3. मोहिनी पुत्री लादूराम
4. बिदामी पुत्री लादूराम
5. भागौती पुत्री लादूराम
6. प्रभाती पुत्री लादूराम
7. विलासाराम पुत्र अर्जुनराम
8. झाबरमल पुत्र करणाराम
9. कजोड़मल पुत्र नारायणराम
10. रामेश्वर पुत्र केशरराम
11. महेन्द्र पुत्र केशरराम
12. राजकुमार दत्तक पुत्र हेमाराम
13. हनुमानसिंह पुत्र सुल्तान
14. गोविन्दराम पुत्र सुल्तान
15. बाबूलाल पुत्र बनवारीलाल
16. सुभाष पुत्र बनवारीलाल
17. संतरा देवी पत्नी बनवारीलाल
18. राजेन्द्र पुत्र हरिराम
19. रामचन्द्र पुत्र हरिराम
20. गणेशराम पुत्र पीथाराम

    समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम बासनी(बैरास) तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
21. पटवारी हल्का, पटवार हल्का सिंगोदड़ा, तहसील, लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
22. तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़–सीकर

**–प्रतिवादीगण**

**<u>दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती व अमल दरामद राजस्व रिकार्ड</u>**

**–:निर्णयः–** **दिनांक–08.06.2018**

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में सक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है यह कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 117 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 118 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 119 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै.मु.चा.,खसरा नम्बर 120 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121 रकबा 4.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.20 हैक्टेयर गै. मु. चा. रास्ता, खसरा नम्बर 330 रकबा 0.04 हैक्टेयर गै. मु. बाड़ा, खसरा नम्बर 541 रकबा 1.42 हैक्टेयर किस्म बारानी, खसरा नम्बर 81 रकबा 0.11 हैक्टेयर गै. मु. रास्ता, खसरा नम्बर 82 रकबा 1.53 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 7.88 हैक्टेयर लिनके पुराने खसरा नम्बर निम्न प्रकार हैः– खसरा नम्बर 27 / 2 रकबा 1. 64 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 4.78 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 144 रकबा 0.04 हैक्टेयर गै.मु. बाड़ा, खसरा नम्बर 265 रकबा 1.42 हैक्टेयर पटवारी हल्का सिगोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ सीकर राज में अवस्थित है जो कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की पैतृक कृषी भूमियां है।

यह कि वादी व प्रतिवादी की कृषी भूमि व ढाणियों में आने जाने के लिये रास्ता ग्राम बासनी से शुरू होकर दोनो तरफ की काश्तकारों की कृषि भूमिसों की सीमा से सटकर ग्राम रिणु व लक्ष्मणगढ जाने वाले आम रास्ते पर मिलता है। उक्त रास्ता दोनो तरफ के काश्तकारों की कृषि भूमियों में से होकर जाता है तथा वर्समान में भी रास्ते के दोनो तरफ के काश्तकारों की कृषि भूमियों में से निकलता है जो वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 20 की कृषि भूमियों मे से जाता है जो बासनी से शुरू होकर के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 121 व सामने के तरफ के काश्तकार प्रतिवादी संख्या 12, 13 की कृषि भूमि खसरा न 133, प्रतिवादी संख्या 7 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 82 जिसके पुराने खसरा नम्बर27 / 2 रकबा 1.64 हैक्टर मे से व सामने की तरफ की दक्षिण साईड में स्थिति कृषि भूमियां खसरा नम्बर 69 रकबा हैक्टेयर प्रतिवादी संख्सा 14 ता 20 की कृषि भूमियों में से होता हुआ प्रतिवादी संख्या 8

Web Copy - Not Official

की कृषि भूमि खसरा नम्बर 83 रकबा 1.12 हेक्टेयर जिसके पुराने खसरा नम्बर 27/1 रकबा 3.74 हैक्टेयर में से व सामने की तरफ दक्षिण साईड में स्थित प्रतिवादी संख्या 9 ता 11 की कृषि भूमि खसरा नम्बर 80 में से होता हुआ ग्राम रिणु से लक्ष्मणगढ जाने वाले आम रास्ते से मिलता है उक्त रास्ते का उपयोग वादी प्रतिवादी गण अपनी कृषि भूमियों में व अपनी ढाणियों मे आने जाने के लिये करते है उक्त रास्ता मौके पर दोनो तरफ की कृषि भूमियों में सें समान रूप से बराबर – बराबर भूमि पर है।

यह कि गत वर्षो में सेटलमेंट/भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान भू–प्रबंध कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से मौके की स्थिति के वितरीत में जाकर के वादी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 121 जिसके पुराने खसरा नम्बर 39 रकबा 4.78 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 82 जिसके पुराने खसरा नम्बर 27/2 रकबा 1.64 हैक्टेयर में सें गलत रूप से अकेले में रास्ते का अंकन कर दिया जबकि मौके पर दोनो तरफ के काश्तकारों की कृषि भूमियां में से उक्त रास्ता मौजूद है, भू–प्रबंध कर्मचारियों द्वारा गलत रूप से वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 कृषि भूमियो में ये अंकेले में रास्ता दर्शित यिका है जिसके खसरा नम्बर 122 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 81 रकबा 0.11 हैक्टेयर दर्शित किया गया है जो कि मौजूद रास्ते की स्थिति के विपरीत है भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान सबंधित आमीन के द्वारा न ता वादी को सुना गया एवं न ही सूचना दी गई एवम् न ही मौके पर आमीन किय गया बल्कि एक जगह बैठकर के वादी व अन्य काश्तकारों को सुने बगैर मौके की स्थिति के विपरीत जाकर के राजस्व रिकार्ड में रास्ते का अंकन किया है इसलिये उक्त गलत रास्ते को विलोपित करके मौके पर मौजूद रास्ते के अनुसार दोनो तरफ की कृषि भूमियों में से रास्ते का अंकन करके राजस्व रिकार्ड में रास्ता अमल दरामद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

यह कि वादी व प्रतिवादी की कृषि भूमियों व ढाणियों में जाने वाले उक्त रास्ते को कृषि भूमि खसरा नम्बर 121, 123, 131, 133, 82, 69, 83, 80 में से होता हुआ रिणु लक्ष्मणगढ रास्ते में मिलता है को मौके पर मौजूद रास्ते के अनुसार उक्त कृषि भूमियों में राजस्व रिकार्ड में रास्ता अमल दरामद किया जाना एवं वर्तमान में भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान राजस्व रिकार्ड में चिन्हित व अलग खसरा नम्बर से दर्शित रास्ते को विलोपित किया जाना कानूनन आवश्यक है।

यह कि वादी ने प्रतिवादी गण खाता दुरूस्त करवाने के लिये कहां तो प्रतिवदी गण ने वादी को दिलाशा देते रहे लेकिल दिनांक 25.01.2018 को वादी ने प्रतिवादीगण ने खाता दुरूस्त करवाने सें इंकार कर दिया, इंकारी के कारण दिनांक 25.01.2018 को बाद कारण पैदा होकर दावापेश करना लाजिमी हुआ। यह कि वाद सुनवाई श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

यह कि उक्त वाद में प्रतिवादी संख्या 21 व 22 सरकारी अधिकारी व कर्मचारी होने के कारण इनके विरूद्ध दायरी से पूर्व दो माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन वाद की अति आवश्यक प्रकृति का होने के कारण दो माह का नोटिस देने से वादी का उदेश्य विफल हो जायेगा इसलिये अलग से धारा 80 (2) सी.पी.सी के तहत आवेदन का पेश करके अनुमति प्राप्त की ली गई है। यह कि दावा उचित न्यायशुल्क पर सादर प्रस्तुत है।

यह कि वादी निम्न सहायता प्राप्त करने की इस्तगुआ करता है– कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इय आशय की डिक्री पारित की जावे कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 117 रकबा 0.04 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 118 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 119 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै,मु.चा. ,खसरा नम्बर 120 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121 रकबा 4.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.20 हैक्टेयर गै. मु. चा. रास्ता, खसरा नम्बर 330 रकबा 0.04 हैक्टेयर गै. मु. बाड़ा, खसरा नम्बर 541 रकबा 1.42 हैक्टेयर किस्म 1.33 बारानी, खसरा नम्बर 81 रकबा 0.11 हैक्टेयर गै. मु. रास्ता, खसरा नम्बर 82 रकबा 1.53 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 7.88 हैक्टेयर जिनके पुराने खसरा नम्बर निम्न प्रकार हैः– खसरा नम्बर 27/2 रकबा 1.64 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 4.78 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 144 रकबा 0.04 हैक्टेयर गै.मु. बाड़ा, खसरा नम्बर 265 रकबा 1.42 हैक्टेयर वाके ग्राम बासनी पटवारी हल्का सिगोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज. में अवस्थित है में भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में अंकित रास्ते को विलोपित करके मौके पर विद्यमान रास्ता तो दोनो तरफ की कृषि भूमियों में से है का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाना न्यायोचित में आवश्यक है। कि अन्य न्यायोचित सहायता जो वादिया प्राप्त करने की अधिकारी हो प्रतिवादीगण से दिलवायी जावें।

दावा पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये सम्मन नोटिस प्रतिवादीगण को तलब किया गया। इसी दौरान पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत–न्याय आपके द्वार 2018 कैम्प सिंगोदड़ा में पेश हुई। जिसमें कैम्प स्थल पर वादी व प्रतिवादीगण सं. 1, 2, 8, 9, 12 ता 14, 16 व 18 ता 20 ने स्वयं उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया। उपस्थित उभयपक्ष ने राजीनामा मय नजरी नक्शा को सुन व समझ कर सही होना स्वीकार किया तथा मुताबिक वादी के वादपत्र में अंकित अनुतोष के अनुसार वादी का वाद डिक्री किये जाने का अनुरोध किया। केम्प स्थल पर पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण

में उभयपक्ष सहमत है। जिसमें पत्रावली में वर्णित तथ्यों, उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा, उपलब्ध दस्तावेजात व पत्रावली के अवलोकन के बाद वादी का वाद डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**–:आदेश:–**

अतः वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 117 रकबा 0.04 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 118 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 119 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै,मु.चा.,खसरा नम्बर 120 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121 रकबा 4.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.20 हैक्टेयर गै. मु. चा. रास्ता, खसरा नम्बर 330 रकबा 0.04 हैक्टेयर गै. मु. बाड़ा, खसरा नम्बर 541 रकबा 1.42 हैक्टेयर किस्म 1.33 बारानी, खसरा नम्बर 81 रकबा 0.11 हैक्टेयर गै. मु. रास्ता, खसरा नम्बर 82 रकबा 1.53 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 7.88 हैक्टेयर जिनके पुराने खसरा नम्बर निम्न प्रकार है:– खसरा नम्बर 27/2 रकबा 1.64 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 4.78 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 144 रकबा 0.04 हैक्टेयर गै.मु. बाड़ा, खसरा नम्बर 265 रकबा 1.42 हैक्टेयर वाके ग्राम बासनी पटवारी हल्का सिगोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज. में भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में अंकित रास्ते की तरमीम को निरस्त किया जाता है व तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वोह सभी काश्तकारों को उचित माध्यम से सूचित कर मौके पर विद्यमान रास्ते अनुसार तरमीम करने के आदेश दिये है। तदनुसार अमल दरामद किया जावें। उक्त रास्ते का अंकन चालू प्रचलित रास्ते के दोनों ओर के संबंधित खातेदारान की भूमि में से कम किया जाकर उक्त रास्ते की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। तदनुसार अंतिम डिक्री जारी हो। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरमीम तकमील दाखिल दफ्तर अभिलेखागार हो।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2018 को मेरे द्वारा केम्प कोर्ट सिंगोदड़ा में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ (सीकर)
कैम्प– सिंगोदड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

**मूल वाद में डिक्री**

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ (सीकर)

पीठासीन अधिकारी– अनिल कुमार, आर.ए.एस

**सुल्तान** बनाम **हरजीराम आदि**

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती व अमल दरामद राजस्व रिकार्ड

**मुकदमा नम्बर– 05/2017** **निर्णय दिनांक– 08.06.2018**

वादी............ व प्रतिवादीगण.......... की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 08.06.2018 को अनिल कुमार, आर.ए.एस., पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ़ (सीकर) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि –

वादी का वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 117 रकबा 0.04 हैक्टेयर , खसरा नम्बर 118 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 119 रकबा 0.01 हैक्टेयर गै.मु.चा.,खसरा नम्बर 120 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 121 रकबा 4.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 122 रकबा 0.20 हैक्टेयर गै. मु. चा. रास्ता, खसरा नम्बर 330 रकबा 0.04 हैक्टेयर गै. मु. बाड़ा, खसरा नम्बर 541 रकबा 1.42 हैक्टेयर किस्म 1.33 बारानी, खसरा नम्बर 81 रकबा 0.11 हैक्टेयर गै. मु. रास्ता, खसरा नम्बर 82 रकबा 1.53 हैक्टेयर कुल किता 10 कुल रकबा 7. 88 हैक्टेयर जिनके पुराने खसरा नम्बर निम्न प्रकार हैः– खसरा नम्बर 27/2 रकबा 1.64 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 4.78 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 144 रकबा 0.04 हैक्टेयर गै.मु. बाड़ा, खसरा नम्बर 265 रकबा 1.42 हैक्टेयर वाके ग्राम बासनी पटवारी हल्का सिगोदड़ा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राज. में भू–प्रबंध कार्यवाही के दौरान गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में अंकित रास्ते की तरमीम को निरस्त किया जाता है व तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वोह सभी काश्तकारों को उचित माध्यम से सूचित कर मौके पर विद्यमान रास्ते अनुसार तरमीम करने के आदेश दिये है। तदनुसार अमल दरामद किया जावें। उक्त रास्ते का अंकन चालू प्रचलित रास्ते के दोनों ओर के संबंधित खातेदारान की भूमि में से कम किया जाकर उक्त रास्ते की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड व नक्शा में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन यथावत रहेगा। पालनार्थ तहसीलदार, लक्ष्मणगढ़ को लिखा जावे।

यह आज तारीख 08.06.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Web Copy - Not Official

**(अनिल कुमार)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**लक्ष्मणगढ़ (सीकर)**
**कैम्प–सिंगोदड़ा**

**मुहर**

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प | रुपया | | रुपया |
| 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | |
| 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | | अर्जी के लिए स्टाम्प | |
| 4. ........... रुपये पर प्लीडर की फीस | | प्लीडर की फीस | |
| 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय | | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | |
| 6. कमिश्नर की फीस | | आदेशिका की तामील | |
| 7. आदेशिका की तामिल | | कमिश्नर की फीस | |
| जोड़ | | जोड़ | |

**(अनिल कुमार)**
**उपखण्ड अधिकारी**
**लक्ष्मणगढ़ (सीकर)**
**कैम्प– सिंगोदड़ा**